न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/28/2014	24–07–2014	24–05–2018

1–मनपाल यादव पुत्र श्री झूँथरमल जाति अहीर निवासी ग्राम भोजराजका हाल आबाद खैरथल तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0

अपीलान्ट

बनाम

1–तहसीलदार किशनगढबास, जिला अलवर राज0

रेस्पाडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार किशनगढबास का निर्णय अनुमानित दिनांक 28.06.2007 (28.05.2007) नामान्तकरण संख्या 4144 ग्राम खैरथल तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0

उपस्थितः–

01. श्री मूलचन्द चौधरी –वकील अपीलान्ट

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार किशनगढबास के आदेश दिनांक 28.05.2007 जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 4144 ग्राम खैरथल तहसील किशनगढबास, जिला अलवर बेजा तौर पर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। अपील अपीलांट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 3929 ग्राम खैरथल तहसील किशनगढबास, में स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय में मुताबिक बयनामा सम्पूर्ण खरीदशुदा सम्पत्ती का इंतकाल दर्ज व स्वीकार नही किया गया। जिसकी जानकारी अपीलान्ट को देरी से हुई। अपीलान्ट द्वारा शीघ्र नकल लेकर अपील दायर की गई। इसलिये मियाद के बिन्दु नरम रूख अपनाया जाकर अपील अन्दर मियाद ग्रहण की जावे। आराजी खसरा नम्बर 3929 वाके ग्राम खैरथल तहसील किशनगढबास जिला अलवर में स्थित एक प्लॉट का 1/3 भाग जो की महावीर प्रसाद यादव पुत्र झूथरमल के हिस्से का था जिसे मिन अपीलान्ट द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 18.05.1991 खरीद किया गया था। तथा जो हिस्सा खरीद किया गया था, उसे नक्शे में सुर्ख रगं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई से दर्शाया गया है। विक्रेता महावीर के हिस्से सी डी ई एफ जी एच आई पैमाईश 39X28 फुट यानीकी 1092 वर्ग फुट का 1/3 भाग 364 वर्ग फुट (40.44 वर्गगज) आई व गैलरी पैमाईश 4X22 फुट का 1/3 भाग 29.33 वर्ग फुट (3.28 वर्गगज) जिसे नक्शे में ए बी सी डी दर्शाया गया है आई थी, ओर इसी जायदाद (कुल रकबा 43.69 वर्गगज) को विक्रय किया गया था। उक्त गैलरी को ए बी सी डी से व अन्य जायदाद को सी डी ई एफ जी एच आई से बयनामा के साथ रंगसुर्ख से दर्शाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने सी डी ई एफ जी एच आई पैमाईश 39X28 फुट यानीकी 1092 वर्ग फुट का 1/3 भाग 364 वर्ग फुट (40.44 वर्गगज) का तो इन्तकाल चढा दिया गया लेकिन गैलरी पैमाईश 4X22 फुट का 1/3 भाग 29.33 वर्ग फुट (3.28 वर्गगज) जिसे नक्शे में ए बी सी डी दर्शाया गया हैं का इन्तकाल दर्ज नही किया गया। उक्त बयनामा व नक्शे के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि मिन अपीलान्ट द्वारा

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

सी डी ई एफ आई 39X28 फुट यानीकी 1092 वर्ग फुट का 1/3 भाग 364 वर्ग फुट (40.44 वर्गगज) एवं गैलरी पैमाईश 4X22 फुट का 1/3 भाग 29.33 वर्ग फुट (3.28 वर्गगज) खरीद किया गया है। इस प्रकार गैलरी पैमाइश 3.25 वर्गगज का इन्तकाल दर्ज नही किया गया है। मिन अपीलान्ट ने 1092 वर्गफुट व गैलरी का रकबा 88 वर्गफुट कुल रकबा 1180 वर्गफुट का 1/3 भाग 393.33 वर्गफुट (43.69 वर्गगज) खरीद किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना बयनामा का अवलोकन किये बिना मिन अपीलान्ट को बुलाऐ बिना मौके की जांच कर विवादित इन्तकाल स्वीकार किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज व स्वीकार किया गया इन्तकाल संख्या 4144 जो केवल 40.44 वर्गगज का ही स्वीकार किया गया है, तथा 3.25 वर्गगज की गैलरी का इन्तकाल छोड दिया गया है इसलिए उक्त गैलरी का रकबा 3.25 वर्गगज को शामिल करते हुए कुल रकबा 43.69 वर्गगज दर्ज कराये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है हस्तगत प्रकरण के अवलोकन से पाया जाता है कि मुताबिक नक्शा विवादित आराजी का कुल रकबा 131.11 वर्गगज बनता है। जिसमे से मुताबिक अपीलान्ट 1/3 हिस्सा 43.69 वर्गगज बनता है, जबकि नामान्तरकरण के अवलोकन से अपीलान्ट का हिस्सा 1/3 के स्थान पर 1/4 दर्शाया गया है, जिसके मुताबिक अपीलान्ट का हिस्सा 32.77 वर्गगज ही बनता है। जबकि नामान्तरकरण में अपीलान्ट का हिस्सा 40.44 वर्गगज स्वीकार किया है। इस प्रकार मुताबिक रजिर्स्टड बयनामा व नामान्तरकरण दोनो में अन्तर है। यहां यह स्पष्ट नही हो रहा है कि बैचान कर्ता का विवादित आराजी में कितना हिस्सा था।

अतः अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.05.2007 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार किशनगढबास को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है। की प्रकरण में पुनः पक्षकारों को सुनकर तथा बयनामें का अवलोकन कर नियमों के आलोक में विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज.) ALWAR (RAJ.)